भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 797
23 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

उच्च क्षमता वाले कृषि और खाद्य उत्पाद

797. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मूल्य संवर्धन के लिए उच्च क्षमता वाले कृषि और खाद्य उत्पादों की पहचान की है तथा प्रसंस्करण, गुणवत्ता और निर्यात तत्परता बढ़ाने के लिए उत्पाद-विशिष्ट विकास रणनीतियाँ तैयार की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रसंस्करण अवसंरचना, सामान्य सुविधाओं, कोल्ड चेन, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से ऐसे उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।उठाए जाने प्रस्तावित हैं,

(ग) मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पाद विकसित करने तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं,

(घ) क्या सरकार ने मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) पहल के तहत पहचाने गए उत्पादों के लिए जिला-विशिष्ट कार्यान्वयन रोडमैप तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने, उत्पाद विविधीकरण और निजी क्षेत्र के माध्यम से भारत को मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पादों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का भविष्य का रोडमैप क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ङ) : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और एक केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं मांग पर आधारित हैं और देश भर में कार्यान्वित की जाती हैं।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, वैश्विक खाद्य विनिर्माण दिग्गजों के निर्माण में सहायता करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को समर्थन

देना है। योजना का एक घटक चार विशिष्ट श्रेणियों के खाद्य उत्पादों के लिए प्रोत्साहन सहायता पर केंद्रित है, जैसे: रेडी टू कुक (आरटीसी) / रेडी टू ईट (आरटीई) मिलेट आधारित उत्पादों सहित खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोज़ेरेला चीज़। दूसरा घटक इन चार क्षेत्रों में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के अभिनव / जैविक उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है। योजना का एक अन्य घटक मजबूत भारतीय ब्रांडों के उदय को प्रोत्साहित करने के लिए विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए सहायता पर केंद्रित है।

पीएमकेएसवाई की एक घटक योजना, 'ऑपरेशन ग्रीन्स-दीर्घकालिक अंतःक्षेप' के अंतर्गत, एमओएफपीआई चिन्हित उत्पादन क्लस्टरों में 10 फल, 11 सब्जी और झींगा के मूल्य श्रृंखला विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन फसलों के उत्पादन समूहों की पहचान, संबंधित राज्यों के बागवानी विभागों के परामर्श से, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए बागवानी उत्पादन आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण और आधुनिकीकरण की सहायता करके एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहा है, उत्पादकता बढ़ा रहा है और उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर रहा है। इसमें एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन /विस्तार और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, संग्रह केंद्रों, भंडारण, शीत भंडारण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना , खाद्य सुरक्षा अनुपालन, ब्रांडिंग और विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत, मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और स्टार्ट-अप्स सहित पात्र आवेदकों को सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करता है।

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अनुदान की राशि, पात्र परियोजना लागत के 50% के बढ़े हुए स्तर पर प्रदान की जाती है, जबकि सामान्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए यह 35% है (संबंधित उप-योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम सीमा के अधीन)।

निर्यात आवश्यकताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और बाजार पहुंच के साथ खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को संरेखित करने हेतु, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों की सहायता करने के लिए "पीएलआईएसएफपीआई" लागू कर रहा है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाया गया है, ताकि प्राकृतिक माल की खरीद, साझा सुविधाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त किए जा सकें। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए ढांचा प्रदान करता है। ओडीओपी की पहचान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कृषि उत्पादन, प्राकृतिक माल की उपलब्धता, उत्पाद के खराब होने की प्रकृति आदि के आधार पर की

जाती है। वर्तमान में, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 726 जिलों में 137 विशिष्ट ओडीओपी उत्पादों की पहचान की गई है।

भारतीय खाद्य उत्पादों में निवेश और सोर्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एमओएफपीआई ने वर्ष 2017, 2023, 2024 और 2025 के दौरान वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के चार संस्करण आयोजित किए थे, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके एकीकरण को सुविधाजनक बनाकर खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के अवसरों और प्रगति को उजागर करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करते हैं। यह आयोजन वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, नवप्रवर्तकों, आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों, उपकरण निर्माताओं आदि को एक सहयोगी मंच पर लाता है और विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय समकक्षों के साथ गठजोड़/व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, एमओएफपीआई के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ़्टम) कुंडली और निफ़्टम, तंजावुर भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आर एंड डी , नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और उत्पाद विविधीकरण की गतिविधियों में लगे हुए हैं।
